

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने एवं स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम के सामने अंकित दिनांक से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है।

क्र.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती)	कार्मिक आई.डी.	डीपीसी वर्ष	जन्म तिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	4	5	6	7	8
1	हुक्माराम लोमरोड़ राजोद, जायल, नागौर	RJNA198728008261	डीपीसी वर्ष -2016-17 (व.क्र.-851/1, व. अ 2008-09)	07.12.65	19.06.21	19.06.2021

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 02/07/2021

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रा.वि./सेवासमाप्ति/2019/377

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग.....
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिक की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर